


सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:- प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायल के विरुद्ध साबित हुआ है। चूंकि सायल वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदार काश्तकार नहीं है जिससे सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। यदि खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त बिंदू भी सायल के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायल के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)